255

363

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल रीवा (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

R. 3514-III/14

राजकरण सिंह तनय गोपाल सिंह उम्र 74 वर्ष पेशा – पेंशनधारी निवासी बहेराडाबर तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)

.................................निगरानीकर्ता

बनाम

1. दिवाकर सिंह तनय यज्ञवली सिंह साकिम बहेरा डाबर तहसील मऊगंज जिला जिला रीवा म0प्र0।
2. शासन म0प्र0 द्वारा पटवारी हल्का बहेरा डाबर कमांक 46 तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0।

.........................गैर निगरानीकर्ता

श्री. उदयराज सिंह ....एड द्वारा आज दिनांक...17-09-14 के प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

3219
29-9-14

निगरानी बावत भूमि नं. 66/1, 66/2, 66/3, 65/1, 65/2 किता 5 बहेरा डाबर तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 के नक्शातरमीम किये जाने बावत्।

निगरानी आवेदन पत्र उक्त धारा 50 म0प्र0 भू – राजस्व संहिता 1959 ई0।

निर्णित प्रकरण माननीय तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 प्रकरण कमांक 2 / अ– 5) 20/03/2014 दिवाकर सिंह बनाम शासन म0प्र0 पारित निर्णय दिनांक 06/01/2014 के परिपेक्ष्य मे।

महोदय,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्न है :–

यह कि गैर निगरानी कर्ता कमांक 1 माननीय तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 दिवाकर पिता श्री यशवली सिंह साकिम बहेरा डाबर तहसील मऊगंज जिला रीवा द्वारा ग्राम बहेरा डाबर की भूमि खसरा नं. 66/1, 66/2, 66/3, 65/1, 65/2 किता 5 किता नक्शा तरमीम का प्रस्तुत किया गया था।

1. प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
2. पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवेदनो का अवलोकनो किया गया पटवारी द्वारा ग्राम बहेरा डाबर तहसील मऊगंज जिला रीवा की भूमि खसरा कमांक 66/1, 66/2, 66/3, 65/1, 65/2 किता 5 किता का नक्शा तरमीम प्रस्ताव तैयार करके

17/9/14

(255)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग03514 / III / 2014 जिला–रीवा

राजकरण सिंह / दिवाकर सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री उदयराज सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 02 / अ5 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 6.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	